

Ushr Ke Ahkaam (Hindi)

काश्तकारों के लिये एक राहनुमा तहरीर

# उश्र के अहकाम

( ज़मीनी पैदावार की ज़कात के मसाइल )



- उश्र किसे कहते हैं ? 8 ● उश्र देने की फ़ज़ीलत 8 ● उश्र किस पैदावार पर वाजिब है ? 11  
● उश्र कब और किसे दिया जाए ? 18, 22 ● उश्र देने का तरीक़ा 18 ● दा'वते इस्लामी की झल्लिकयां 29

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### किताब पढ़ने की दुआ

अज : शैखे तरीकत, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, हज़रते अल्लामा  
मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी रज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ

दीनी किताब या इस्लामी सबक पढ़ने से पहले जैल में दी हुई दुआ पढ़  
लीजिये إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा। दुआ येह है :

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَأَنْشُرْ  
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

तरजमा : ऐ अल्लाह عَزَّوَجَلَّ ! हम पर इल्मो हिक्मत के दरवाजे खोल दे और हम पर  
अपनी रहमत नाज़िल फ़रमा ! ऐ अज़मत और बुजुर्गी वाले ।

(المستطرف ج ١ ص ٤٠٠ دار الفكر بيروت)

नोट : अव्वल आख़िर एक एक बार दुरूद शरीफ़ पढ़ लीजिये ।

तालिबे ग़मे मदीना

व बकीअ

व मरिफ़रत

13 शव्वालुल मुकर्रम 1428 हि.



### क़ियामत के रोज़ हसरत

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : सब से ज़ियादा हसरत  
क़ियामत के दिन उस को होगी जिसे दुन्या में इल्म हासिल करने का मौक़अ मिला  
मगर उस ने हासिल न किया और उस शख़्स को होगी जिस ने इल्म हासिल किया  
और दूसरों ने तो उस से सुन कर नफ़अ उठाया लेकिन इस ने न उठाया (या'नी उस  
इल्म पर अमल न किया) । (تاريخ دمشق لابن عسكرو ج ٥١ ص ٣٨٠ دار الفكر بيروت)

### किताब के ख़रीदार मुतवज्जेह हों

किताब की त्बाअत में नुमायां ख़राबी हो या सफ़हात कम हों या बाइन्डिंग में  
आगे पीछे हो गए हों तो मक्ताबतुल मदीना से रुजूअ फ़रमाइये ।

**मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी इन्डिया)**

येह रिसाला "उ़शर के अहकाम"

मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) ने उर्दू ज़बान में मुरतब किया है। मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी इन्डिया) ने इस रिसाले को हिन्दी रस्मुल ख़त में तरतीब दे कर पेश किया है और मक्तबतुल मदीना से शाएअ़ करवाया है।

इस रिसाले में अगर किसी जगह कमी बेशी या ग़लती पाएं तो मजलिसे तराजिम को (ब ज़रीअ़ए मक्तूब, E-mail या SMS) मुत्तलअ़ फ़रमा कर सवाब कमाइये।

**हुरूफ़ की पहचान**

फ = ف	प = پ	भ = ب	ब = ب	अ = ا
स = س	ठ = ث	ट = ت	थ = ث	त = ت
ह = ح	छ = ح	च = ج	झ = ج	ज = ج
ढ = د	ड = د	ध = د	द = د	ख़ = خ
ज़ = ز	ढ़ = د	ड़ = د	र = ر	ज़ = ز
ज़ = ض	स = ص	श = ش	स = س	ज़ = ج
फ़ = ف	ग़ = غ	अ़ = ع	ज़ = ج	त = ت
घ = گ	ग = گ	ख = ک	क = ک	क़ = ق
ह = ه	व = و	न = ن	म = م	ल = ل
ई = ی	इ = ا	ऐ = ا	ए = ا	य = ی

**राबिता : मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी इन्डिया)**

मक्तबतुल मदीना, सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने, तीन

दरवाज़ा, अहमदआबाद-1, गुजरात

MO. 98987 32611 • E-mail : hind.printing92@gmail.com

काशत कार इस्लामी भाइयों के लिये एक राहनुमा तहरीर

# उशर के अहकाम

(जमीन की जकात के मसाइल)

पेशकश

मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

(शो'बए इस्लाही कुतुब)

नाशिर

मक्तबतुल मदीना

الصلوة والسلام عليه وآله وسلم بارسول الله وعلمى الناس واصحابه باحسب الله

## जुम्ला हुकूक बहवके नाशिर महफूज हैं

नाम किताब : उ़शर के अहकाम (जमीन की ज़कात के मसाइल)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या

(शो'बए इस्लाही कुतुब)

सिने त़बाअत : जुलाई 2019 ई.

सिने त़बाअत : रबीउल अव्वल 1445 हि., सितम्बर 2023 ई.

## मक्तबतुल मदीना की मुख्तलिफ़ शाखें

मुम्बई : 19, 20, मुहम्मद अली रोड, मांडवी पोस्ट ऑफिस के सामने, मुम्बई फ़ोन : 022-23454429

देहली : 421, मटिया महल, उर्दू बाज़ार, जामेअ मस्जिद, देहली फ़ोन : 011-23284560

नागपुर : मुहम्मद अली सराय रोड (C / 0) जामिअतुल मदीना, कमाल शाह बाबा दरगाह के पास, मोमिनपुरा, नागपूर फ़ोन : 0712 -2737290

अजमेर शरीफ़ : 19 / 216 फ़लाहे दारैन मस्जिद के करीब, नला बाज़ार, स्टेशन रोड, दरगाह, : (0145) 2629385

हुब्ली : A.J. मुठोल कोम्पलेक्स, A.J. मुठोल रोड, ब्रीज के पास, हुब्ली - 580024. फ़ोन : 09343268414

हैदरआबाद : पानी की टंकी, मुग़ल पुरा, हैदरआबाद फ़ोन : 040-24572786

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## अल मदीनतुल इल्मिय्या

अज : शैखे त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी

हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार

دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ جِيّايई कादिरी रज़वी

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى إِحْسَانِهِ وَبِفَضْلِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की ग़ैर सियासी तहरीक “दा'वते इस्लामी” नेकी की दा'वत, एहयाए सुन्नत और इशाअते इल्मे शरीअत को में आम करने का अज़मे मुसम्मम रखती है, इन तमाम उमूर को ब हुस्नो ख़ूबी सर अन्जाम देने के लिये मुतअद्दद मजालिस का क़ियाम अमल में लाया गया है जिन में से एक मजलिस “अल मदीनतुल इल्मिय्या” भी है जो दा'वते इस्लामी के उ-लमा व मुफ़्तयाने किराम كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ पर मुशतमिल है, जिस ने ख़ालिस इल्मी, तहकीकी और इशाअती काम का बीड़ा उठाया है। इस के मुन्दरिजए जैल छ<sup>०</sup> शो'बे हैं :

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| (1) शो'बए कुतुबे आ'ला हज़रत | (2) शो'बए तराजिमे कुतुब |
| (3) शो'बए दर्सी कुतुब       | (4) शो'बए इस्लाही कुतुब |
| (5) शो'बए तफ़्तीशे कुतुब    | (6) शो'बए तख़ीज         |

“अल मदीनतुल इल्मिय्या” की अव्वलीन तरजीह सरकारे आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, अज़ीमुल बरकत, अज़ीमुल मर्तबत, परवानए शम्पू रिसालत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, हामिये सुन्नत, माहि्ये बिद्अत, अ़ालिमे शरीअत, पीरे त़रीक़त, बाइसे ख़ैरो बरकत, हज़रते अल्लामा मौलाना अलहाज

अल हाफिज़ अल कारी शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن की गिरां मायह तसानीफ़ को अस्से हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक़ हत्तल वस्अ सहल उस्लूब में पेश करना है। तमाम इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें इस इल्मी, तहकीकी और इशाअती मदनी काम में हर मुम्किन तआवुन फ़रमाएं और मजलिस की तरफ़ से शाएअ होने वाली कुतुब का खुद भी मुतालाआ फ़रमाएं और दूसरों को भी इस की तरगीब दिलाएं।

अल्लाह عَزَّوَجَلَّ “दा'वते इस्लामी” की तमाम मजालिस ब शुमूल “अल मदीनतुल इल्मिय्या” को दिन ग्यारहवीं और रात बारहवीं तरक्की अता फ़रमाए और हमारे हर अमले ख़ैर को ज़ेवरे इख़लास से आरास्ता फ़रमा कर दोनों जहां की भलाई का सबब बनाए। हमें ज़ेरे गुम्बदे ख़ज़रा शहादत, जन्नतुल बकीअ में मदफ़न और जन्नतुल फ़िरदौस में जगह नसीब फ़रमाए।

أَمِينٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ



रमज़ानुल मुबारक 1425 हि.

## पेश लफ़्ज

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो !

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की गैर सियासी तहरीक “दा’वते इस्लामी” की मजलिस “अल मदीनतुल इल्मिय्या” (शो’बए इस्लाही कुतुब) की तरफ़ से मुख़्तलिफ़ मौजूआत पर अब तक दरजनों किताबें और रसाइल अ़वामे अहले सुन्नत की ख़िदमत में पेश किये जा चुके हैं। फ़िल वक़्त फ़िक्ही मौजूअ पर मुश्तमिल रिसाला “उ़श्र के अहकाम (पैदावारे ज़मीन की ज़कात के मसाइल)” आप के सामने है। इस मुख़्तसर रिसाले में उ़श्र से मुतअल्लिक़ उन तमाम मसाइल का इहाता करने की कोशिश की गई है जिन की ज़रूरत काशत कार इस्लामी भाइयों को पेश आ सकती है।

इस रिसाले को न सिर्फ़ खुद पढ़िये बल्कि दूसरे इस्लामी भाइयों बिल खुसूस ज़मीनदार इस्लामी भाइयों को इस के मुतालए की तरगीब दे कर सवाबे जारिया के मुस्तहिक़ बनिये। अल्लाह तआला से दुआ है कि हमें “अपनी और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह की कोशिश” करने के लिये मदनी इन्आमात पर अमल करने और मदनी काफ़िलों का मुसाफ़िर बनते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दा’वते इस्लामी की तमाम मजलिस ब शुमूल मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या को दिन ग्यारहवीं रात बारहवीं तरक्की अता फ़रमाए।

أَمِينٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

शो’बए इस्लाही कुतुब ( मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या )



नम्बर	उन्वान	सफ़ह
1	उ़श्र का बयान	8
2	उ़श्र के फ़ज़ाइल	8
3	उ़श्र अदा न करने का वबाल	10
4	किस पैदावार पर उ़श्र वाजिब है ?	11
5	शहद की पैदावार पर उ़श्र	13
6	किस पैदावार पर उ़श्र वाजिब नहीं ?	13
7	उ़श्र वाजिब होने के लिये कम अज़ कम मिक्दार	14
8	पागल और ना बालिग़ पर उ़श्र	14
9	कर्ज़दार पर उ़श्र	15
10	शरई फ़कीर पर उ़श्र	15
11	उ़श्र के लिये साल गुज़रना शर्त है या नहीं ?	15
12	मुख़्तलिफ़ ज़मीनों का उ़श्र	16
13	ठेके की ज़मीनों का उ़श्र	16
14	अगर खुद फ़स्ल न बोई तो उ़श्र किस पर है ?	17
15	मुशतरिका ज़मीन का उ़श्र	17
16	घरेलू पैदावार पर उ़श्र	18
17	उ़श्र की अदाएगी से पहले अख़्राजात अलग करना	18
18	उ़श्र की अदाएगी	18

1	उ़श्र पेशगी अदा करना	19
2	फल जाहिर होने और खेती तय्यार होने से मुराद	19
3	पैदावार बेच दी तो उ़श्र किस पर है ?	19
4	उ़श्र की अदाएगी में ताख़ीर	20
5	उ़श्र अदा करने से पहले पैदावार का इस्ति'माल	20
6	उ़श्र देने से पहले फ़ौत हो गया तो ?	21
7	उ़श्र में रक़म देना	21
8	अगर त़वील अ़सें से उ़श्र अदा न किया हो तो ?	21
9	अगर फ़स्ल ही काशत न की तो ?	21
10	फ़स्ल जाएअ होने की सूरत में उ़श्र	22
11	उ़श्र किस को दिया जाए	22
12	जिन को उ़श्र नहीं दे सकते	25
13	इमामे मस्जिद को उ़श्र देना	26
14	ख़रीफ़ की फ़स्लें, सब्जियां और फल	27
15	रबीअ की फ़स्लें, सब्जियां और फल	27
16	दा'वते इस्लामी के साथ तअ़वुन कीजिये	28
17	दा'वते इस्लामी की झल्लिकां	29

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## दुरूदे पाक की फ़ज़ीलत

रहमते आलम, नूरे मुजस्सम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया: ऐ लोगो ! बेशक बरोजे कियामत उस की दहशतों और हि़साब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख़्स वोह होगा जिस ने तुम में से मुझ पर दुन्या के अन्दर ब कसरत दुरूद शरीफ़ पढ़े होंगे ।”

(फ़रुसुल अलख़बार, الحدیث ۸۲۱۰، ج ۲، ص ۲۷۱)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

## उ़श्र का बयान

**सुवाल :** उ़श्र किसे कहते हैं ?

**जवाब :** ज़मीन से नफ़अ हासिल करने की ग़रज़ से उगाई जाने वाली शै की पैदावार पर जो ज़कात अदा की जाती है उसे उ़श्र कहते हैं ।

(الفتاوى المهدية، كتاب الزكوة، الباب السادس، ج ۱، ص ۱۸۵، ملخصاً)

**सुवाल :** ज़मीन की ज़कात को उ़श्र क्यूं कहते हैं ?

**जवाब :** ज़मीन की पैदावार का उ़मूमन दसवां (1/10) हि़स्सा बतौरै ज़कात दिया जाता है इस लिये इसे उ़श्र (या'नी दसवां हि़स्सा) कहते हैं ।

## उ़श्र के फ़ज़ाइल

**सुवाल :** उ़श्र देने की क्या फ़ज़ीलत है ?

**जवाब :** उ़श्र की अदाएगी करने वालों को इन्आमाते आख़िरत की बिशारत है जैसा कि कुरआने पाक में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है :

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ  
يُخْلِفُهُ ۗ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾  
(प २२, सबा: ३९)

सूरए बकरह में है :

مَثَلُ الَّذِينَ يُبْذِرُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ  
سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبًّا ۗ  
وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ  
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٩﴾ الَّذِينَ يُبْذِرُونَ  
أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمْ يُتْبِعُوهُنَّ  
مَا أَنْفَقُوا مِمَّا ذَلَّ أَعْيُنُهُمْ أَجْرُهُمْ  
عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ  
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٩﴾  
(प ३, البقرة: २११-२१२)

तरजमए कन्जुल ईमान : और जो चीज तुम अल्लाह की राह में खर्च करो वोह उस के बदले और देगा और वोह सब से बेहतर रिज़क देने वाला ।

तरजमए कन्जुल ईमान : उन की कहावत जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उस दाने की तरह जिस ने उगाई सात बालीं । हर बाल में सो दाने और अल्लाह इस से भी ज़ियादा बढ़ाए जिस के लिये चाहे और अल्लाह वुस्तत वाला इल्म वाला है वोह जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फिर दिये पीछे न एहसान रखें न तकलीफ़ दें उन का नेग (इन्आम) उन के रब के पास है और उन्हें न कुछ अन्देशा हो न कुछ ग़म ।

सरवरे अ़ालम, नूरे मुजस्सम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने भी तरगीबे उम्मत के लिये कई मक़ामात पर राहे खुदा عَزَّوَجَلَّ में खर्च करने के कई फ़ज़ाइल बयान किये हैं : चुनान्चे

हज़रते सय्यिदुना हसन رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से मरवी है कि नबिय्ये करीम, रऊफ़रहीम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : “ज़कात दे कर अपने मालों को मज़बूत क़लओं में कर लो और अपने बीमारों का इलाज सदके से करो और बला नाज़िल होने पर दुआ व तज़र्रोअ़ (या'नी गिर्या व ज़ारी) से इस्तिआनत (या'नी मदद त़लब) करो ।” (मरासिल ابی داؤد مع سنن ابی داؤد، باب فی الصائم، ص ८)

और हज़रते सय्यिदुना जाबिर رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत है कि नबिय्ये पाक साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ़्लाक صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : “जिस ने अपने माल की ज़कात अदा कर दी, बेशक अल्लाह तअ़ाला ने उस से शर दूर फ़रमा दिया ।”

(المعجم الاوسط، باب الالف، الحديث ١٥٤٩، ج ١، ص ٢٣١)

## उ़शर अदा न करने का वबाल

**सुवाल :** उ़शर अदा न करने का क्या वबाल है ?

**जवाब :** उ़शर अदा न करने वाले के लिये कुरआने पाक व अहादीसे मुबारका में सख़्त वईदें आई हैं । चुनान्वे अल्लाह तअ़ाला इर्शाद फ़रमाता है :

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ  
بِمَا أَنشَأَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ  
بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا  
بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(प. २, आल عمران: १८०)

**तरजमए कन्ज़ुल इमान :** और जो बुख़ल करते हैं उस चीज़ में जो अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़ल से दी, हरगिज़ उसे अपने लिये अच्छा न समझें बल्कि वोह उन के लिये बुरा है अन्क़रीब वोह जिस में बुख़ल किया था क़ियामत के दिन उन के गले का तौक होगा ।

**हज़रते सय्यिदुना अबू हुरैरा** رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत है कि मक्की मदनी सरकार, दो अ़ालम के मालिको मुख़्तार صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : “जिस को अल्लाह عَزَّوَجَلَّ माल दे और वोह उस की ज़कात अदा न करे तो क़ियामत के दिन वोह माल गन्जे सांप की सूरत में कर दिया जाएगा जिस के सर पर दो चित्तियां होंगी (या’नी दो निशान होंगे), वोह सांप उस के गले में तौक बना कर डाल दिया जाएगा, फिर उस (ज़कात न देने वाले) की बाछें पकड़ेगा और कहेगा : मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा ख़ज़ाना हूं । इस के बा’द नबिय्ये पाक, साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ़्लाक صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इस आयत की तिलावत फ़रमाई :

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ  
بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ أَلَيْسَ  
بِأَلْوَسَّاءٍ لَّهُمْ سَيَطُوونَ مَا بَخَلُوا  
بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ<sup>ط</sup>

(पृ. २, आल عمران: १८०)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और जो बुख़ल करते हैं उस चीज़ में जो अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़ल से दी, हरगिज़ उसे अपने लिये अच्छा न समझें बल्कि वोह उन के लिये बुरा है अन्करीब वोह जिस में बुख़ल किया था क़ियामत के दिन उन के गले का तौक होगा ।

(صحیح البخاری، کتاب الزکوٰۃ، باب اثم مانع الزکوٰۃ، الحدیث ۱۴۰۳، ج ۱، ص ۲۷)

हज़रते सय्यिदुना बुरीदा रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत है कि सरकारे मदीना, राहते क़ल्बो सीना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया :

“जो क़ौम ज़कात न देगी अल्लाह एَزَّوَجَلَّ उसे क़हूत में मुब्तला फ़रमाएगा ।”

(المجموع الاوسط، الحدیث ۳۵۷۷، ج ۳، ص ۲۷)

हज़रते सय्यिदुना अमीरुल मुअमिनीन उमर फ़ारूके आ'ज़म رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत है कि नबिय्ये करीम, रउफ़रहीम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : “खुशकी व तरी में जो माल तलफ़ होता है, वोह ज़कात न देने की वजह से तलफ़ होता है ।”

(کنز العمال، کتاب الزکوٰۃ، الفصل الثانی فی تزییبات مانع الزکوٰۃ، الحدیث ۱۵۸۰۳، ج ۶، ص ۱۳۱)

## किस पैदावार पर उ़श्र वाजिब है ?

**सुवाल :** ज़मीन की किस पैदावार पर उ़श्र वाजिब है ?

**जवाब :** जो चीज़ें ऐसी हों कि उन की पैदावार से ज़मीन का नफ़अ हासिल करना मक्सूद हो ख़्वाह वोह ग़ल्ला, अनाज और फल फ़ूट हों या सब्ज़ियां वगैरा मसलन अनाज और ग़ल्ला में गन्दुम, जव, चावल, गन्ना, कपास, जुवार, धान (चावल), बाजरा, मूंगफली, मकई, और सूरज मुखी, राई, सरसों और लोसन वगैरा ।

फलों में ख़रबूज़ा, आम, अमरूद, मालटा, लोकाट, सेब, चीकू, अनार, नाशपाती, जापानी फल, संगतरा, पपीता, और नारियल, तरबूज़, फ़ाल्सा, जामुन, लीची, लीमूं, ख़ूबानी, आडू, खजूर, आलू बुख़ारा, गरमा, अनन्नास, अंगूर और आलूचा वगैरा ।

सब्ज़ियों में ककड़ी, टींडा, करेला, भिन्डी तूरी, आलू, टमाटर, घियातूरी, सब्ज़ मिर्च, शिम्ला मिर्च, पोदीना, खीरा, ककड़ी (तर) और अरवी, तोरिया, फूल गोभी, बन्द गोभी, शलगम, गाजर, चुकन्दर, मटर, पियाज़, लहसन, पालक, धनिया और मुख़्तलिफ़ किस्म के साग और मेथी और बैंगन वगैरा ।<sup>(1)</sup> इन सब की पैदावार में से उ़श्र (या'नी दसवां हिस्सा) या निस्फ़ उ़श्र (या'नी बीसवां हिस्सा) वाजिब है ।

(الفتاوى الهندية، كتاب الزكوة، الباب السادس، ج 1، ص 186)

अल्लाह तअाला ने सूरतुल अन्आम में फ़रमाया :

وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ      तरजमए कन्ज़ुल ईमान : खेती कटने के दिन उस का हक़ अदा करो ।

(8، الانعام: 141)

इमामे अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, परवानए शम्ए रिसालत, अशशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن लिखते हैं कि अक्सर मुफ़स्सरीन मसलन हज़रत इब्ने अब्बास, तारुस, हसन, जाबिर बिन जैद और सईद बिन मुसय्यब رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ के नज़दीक इस हक़ से मुराद उ़श्र है । (फ़तावा रज़विय्या जदीद, किताबुज़्ज़कात, जि. 10, स. 65)

नबिय्ये करीम, रऊफ़ुर्रहीम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : “हर उस शै में जिसे ज़मीन ने निकाला, (उस में) उ़श्र या निस्फ़ उ़श्र है ।” (کنز العمال، کتاب الزکوة، باب زکوة النبت والفلوات، الحدیث 15873، ج 6، ص 149)

1 : मौसिम के ए'तिबार से फ़स्तों, फलों और सब्ज़ियों की तफ़सील स. 27 पर मुलाहज़ा फ़रमाएं ।

हज़रते सय्यिदुना जाबिर رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ बयान करते हैं कि रसूले अकरम, नूरे मुजस्सम, शाहे बनी आदम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : “जिन ज़मीनों को दरिया और बारिश सैराब करे उन में उ़शर (दसवां हिस्सा देना वाजिब) है और जो ज़मीनें ऊंट के ज़रीए सैराब की जाएं उन में निस्फ़ उ़शर (बिसवां हिस्सा वाजिब) है।”

(صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب ما فی العشر او نصف العشر، الحدیث ۹۸۱، ص ۲۸۸)

**सुवाल :** निस्फ़ उ़शर से क्या मुराद है ?

**जवाब :** निस्फ़ उ़शर से मुराद बीसवां हिस्सा 1/20 है ।

(बहारे शरीअत, हिस्सा : 5, स. 15)

### शहद की पैदावार पर उ़शर

**सुवाल :** उ़शरी ज़मीन में जो शहद पैदा हो क्या उस पर भी उ़शर देना पड़ेगा ?

**जवाब :** जी हां ।

(الفتاویٰ الھندیہ، کتاب الزکاۃ، الباب السادس، ج ۱ ص ۱۸۶)

### किस पैदावार पर उ़शर वाजिब नहीं ?

**सुवाल :** किन फ़स्लों पर उ़शर वाजिब नहीं ?

**जवाब :** जो चीजें ऐसी हों कि उन की पैदावार से ज़मीन का नफ़अ हासिल करना मक्सूद न हो उन में उ़शर नहीं जैसे ईंधन, घास, बेद, सरकन्डा, झाव (वोह पौदा जिस से टोकरियां बनाई जाती हैं), खजूर के पत्ते वगैरा, इन के इलावा हर किस्म की तरकारियों और फलों के बीज कि इन की खेती से तरकारियां मक्सूद होती हैं बीज मक्सूद नहीं होते और जो बीज दवा के तौर पर इस्ति'माल होते हैं मसलन कुन्दुर, मेथी और कलौंजी वगैरा के बीज, उन में भी उ़शर नहीं है । इसी तरह वोह चीजें जो



ज़मीन के ताबेअ हों जैसे दरख़्त और जो चीज़ दरख़्त से निकले जैसे गोंद, उस में उ़श्र वाजिब नहीं ।

अलबत्ता अगर घास, बेद, झाव (वोह पौदा जिस से टोकरियां बनाई जाती हैं) वगैरा से ज़मीन के मनाफ़ेअ हासिल करना मक्सूद हो और ज़मीन इन के लिये खाली छोड़ दी तो इन में भी उ़श्र वाजिब है । कपास और बैंगन के पौदों में उ़श्र नहीं मगर इन से हासिल कपास और बैंगन की पैदावार में उ़श्र है ।

(در مختار، کتاب الزکوٰۃ ، باب العشر، ج ۳ ص ۳۱۵، الفتاویٰ الھندیہ، کتاب الزکوٰۃ، الباب السادس فی زکوٰۃ الزرع، ج ۱ ص ۱۸۶)

### उ़श्र वाजिब होने के लिये कम अज़ कम मिक्दार

**सुवाल :** उ़श्र वाजिब होने के लिये ग़ल्ला, फल और सब्जियों की कम अज़ कम कितनी मिक्दार होना ज़रूरी है ?

**जवाब :** उ़श्र वाजिब होने के लिये इन की कोई मिक्दार मुकर्रर नहीं है बल्कि ज़मीन से ग़ल्ला, फल और सब्जियों की जितनी पैदावार भी हासिल हो उस पर उ़श्र या निस्फ़ उ़श्र देना वाजिब होगा ।

(الفتاویٰ الھندیہ، المرجع السابق)

### पागल और ना बालिग़ पर उ़श्र

**सुवाल :** अगर इन की पैदावार का मालिक पागल और ना बालिग़ हो तो उस को भी उ़श्र देना होगा ?

**जवाब :** उ़श्र चूंकि ज़मीन की पैदावार पर अदा किया जाता है लिहाज़ा जो भी इस पैदावार का मालिक होगा वोह उ़श्र अदा करेगा चाहे वोह मज्जून (या'नी पागल) और ना बालिग़ ही क्यूं न हो ।

(الفتاویٰ الھندیہ، کتاب الزکوٰۃ، الباب السادس فی زکوٰۃ الزرع، ج ۱ ص ۱۸۵، ملخصاً)

## क़र्जदार पर उ़श्र

**सुवाल :** क्या क़र्जदार को उ़श्र मुआफ़ है ?

**जवाब :** क़र्जदार से उ़श्र मुआफ़ नहीं, इस लिये अगर क़र्ज ले कर ज़मीन ख़रीदी हो या काश्त कार पहले से मक्रूज़ हो या क़र्ज ले कर काश्त कारी की हो इन सब सूरतों में क़र्जदार पर भी उ़श्र वाजिब है ।”

(الدر المختار و رد المحتار، کتاب الزکوة، باب العشر، ج ۳، ص ۳۱۴)

अल्लामा अ़ल्लिम बिन अ़ला अल अन्सारी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فَرَمَاتे हैं कि “ज़कात के बर ख़िलाफ़ उ़श्र मक्रूज़ पर भी वाजिब होता है ।”

(فتاوى تاتारخانيه، کتاب العشر، ج ۲، ص ۲۳۰)

## शरई फ़कीर पर उ़श्र

**सुवाल :** क्या शरई फ़कीर पर भी उ़श्र वाजिब होगा ?

**जवाब :** जी हां, शरई फ़कीर पर भी उ़श्र वाजिब है क्यूं कि उ़श्र वाजिब होने का सबब ज़मीने नामी (या'नी काबिले काश्त) से हकीकतन पैदावार का होना है, इस में मालिक के ग़नी या फ़कीर होने का कोई ए'तिबार नहीं ।

(ماخوذ من العنایة والكفایة، کتاب الزکوة، باب زکاة الاروع، ج ۲، ص ۱۸۸)

## उ़श्र के लिये साल गुज़रना शर्त है या नहीं ?

**सुवाल :** क्या उ़श्र वाजिब होने के लिये साल गुज़रना शर्त है ?

**जवाब :** उ़श्र वाजिब होने के लिये पूरा साल गुज़रना शर्त नहीं बल्कि साल में एक ही खेत में चन्द बार पैदावार हुई तो हर बार उ़श्र वाजिब है ।

(الدر المختار و رد المحتار، کتاب الزکوة، باب العشر، ج ۳، ص ۳۱۴)

## मुख़्तलिफ़ ज़मीनों का उ़श्र

**सुवाल :** मुख़्तलिफ़ ज़मीनों को सैराब करने के लिये अलग अलग तरीके इस्ति'माल किये जाते हैं, तो क्या हर किस्म की ज़मीन में उ़श्र (या'नी दसवां हिस्सा ही) वाजिब होगा ?

**जवाब :** इस सिल्लिसले में काइदा येह है कि

☆ जो खेत बारिश, नहर, नाले के पानी से (क़ीमत अदा किये बिगैर) सैराब किया जाए, उस में उ़श्र या'नी दसवां हिस्सा वाजिब है,

☆ जिस खेत की आबपाशी डोल (या अपने ट्यूब वेल) वगैरा से हो, उस में निस्फ़ उ़श्र या'नी बीसवां हिस्सा वाजिब है,

☆ अगर (नहर या ट्यूब वेल वगैरा का) पानी ख़रीद कर आबपाशी की हो या'नी वोह पानी किसी की मिल्कियत है उस से ख़रीद कर आबपाशी की, जब भी निस्फ़ उ़श्र वाजिब है,

☆ अगर वोह खेत कुछ दिनों बारिश के पानी से सैराब कर दिया जाता है और कुछ दिन डोल (या अपने ट्यूब वेल) वगैरा से, तो अगर अक्सर बारिश के पानी से काम लिया जाता है और कभी कभी डोल (या अपने ट्यूब वेल) वगैरा से तो उ़श्र वाजिब है वरना निस्फ़ उ़श्र वाजिब है ।

(درمختار و رد المحتار، کتاب الزکوٰۃ، باب العشر، ج ۳، ص ۳۱۶)

## ठेके की ज़मीनों का उ़श्र

**सुवाल :** क्या ठेके पर दी जाने वाली ज़मीन की पैदावार पर भी उ़श्र होगा ?

**जवाब :** जी हां, ठेके पर दी जाने वाली ज़मीन की पैदावार पर भी उ़श्र होगा ।

**सुवाल :** येह उ़श्र कौन अदा करेगा ?

**जवाब :** इस उ़श्र की अदाएगी काशत कार पर वाजिब होगी ।

(رد المحتار، کتاب الزکوٰۃ، باب العشر، ج ۳، ص ۳۱۴)

## अगर खुद फ़स्ल न बोई तो उ़श्र किस पर है ?

**सुवाल :** अगर ज़मीन का मालिक खुद खेतीबाड़ी में हिस्सा न ले बल्कि मुज़ारिओं से काम ले तो उ़श्र मुज़ारेअ पर होगा या मालिके ज़मीन पर ?

**जवाब :** इस सिल्लिले में देखा जाएगा कि

अगर मुज़ारेअ से मुराद वोह है जो ज़मीन बटाई पर लेता है या'नी पैदावार में से आधा या तीसरा हिस्सा वगैरा मालिके ज़मीन का और बक़िय्या मुज़ारेअ का हो तो इस सूरत में दोनों पर उन के हिस्से के मुताबिक़ उ़श्र वाजिब होगा सदरुशशरीअह, बदरुत्तरीक़ह, मौलाना अमजद अली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ **बहारे शरीअत** में फ़रमाते हैं, “उ़श्री ज़मीन बटाई पर दी तो उ़श्र दोनों पर है।” (बहारे शरीअत, हिस्सा : 5, स. 54)

और अगर मुज़ारेअ से मुराद वोह है कि जिस को मालिके ज़मीन ने ज़मीन इजारे पर दी मसलन फ़ी एकड़ पचास हज़ार रुपिया तो इस सूरत में उ़श्र मुज़ारेअ पर होगा मालिके ज़मीन पर नहीं।

(ماخوذ از بدائع الصنائع، ج ۲، ص ۸۴)

## मुशतरिका ज़मीन का उ़श्र

**सुवाल :** जो ज़मीन किसी की मुशतरिका मिलिक्यत हो तो उ़श्र कौन अदा करेगा ?

**जवाब :** उ़श्र की अदाएगी में ज़मीन का मालिक होना शर्त नहीं है बल्कि पैदावार का मालिक होना शर्त है इस लिये जो जितनी पैदावार का मालिक होगा वोह उस पैदावार का उ़श्र अदा करेगा। **फ़तावा शामी** में है कि “उ़श्र वाजिब होने के लिये ज़मीन का मालिक होना शर्त नहीं बल्कि पैदावार का मालिक होना शर्त है क्यूं कि उ़श्र पैदावार पर वाजिब होता है न कि ज़मीन पर, और ज़मीन का मालिक होना या न होना दोनों बराबर है।”

(رد المحتار، کتاب الزکوٰۃ، باب العشر، ج ۳، ص ۳۱۲)

## घरेलू पैदावार पर उ़श्र

**सुवाल :** घर या क़ब्रिस्तान में जो पैदावार हो उस पर उ़श्र होगा या नहीं ?

**जवाब :** घर या क़ब्रिस्तान में जो पैदावार हो, उस में उ़श्र वाजिब नहीं है ।  
(الدر المختار، كتاب الزكوة، مطلب مهم في حكم اراضي مصر والشام السلطانية، ج ۳، ص ۳۲۰)

## उ़श्र की अदाएगी से पहले अख़्राजात अलग करना

**सुवाल :** क्या उ़श्र कुल पैदावार से अदा किया जाएगा या अख़्राजात वग़ैरा निकाल कर बक़िय्या पैदावार से अदा किया जाएगा ?

**जवाब :** जिस पैदावार में उ़श्र या निस्फ़ उ़श्र वाजिब हो, उस में कुल पैदावार का उ़श्र या निस्फ़ उ़श्र लिया जाएगा । ऐसा नहीं है कि ज़िराअत, हल, बैल, हिफ़ाज़त करने वाले और काम करने वालों की उजरत या बीज, खाद और अदवियात वग़ैरा के अख़्राजात निकाल कर बाकी का उ़श्र या निस्फ़ उ़श्र दिया जाए ।

(الدر المختار و رد المحتار، كتاب الزكوة، مطلب مهم في حكم اراضي مصر والشام السلطانية، ج ۳، ص ۳۱۷)

**सुवाल :** हुकूमत को जो माल गुज़ारी दी जाती है क्या उसे भी पैदावार से नहीं निकाला जाएगा ?

**जवाब :** जी नहीं, उस माल गुज़ारी को भी पैदावार से अलग नहीं किया जाएगा बल्कि उसे भी शामिल कर के उ़श्र का हि़साब लगाया जाएगा ।

## उ़श्र की अदाएगी

**सुवाल :** उ़श्र कब अदा करना होगा ?

**जवाब :** जब पैदावार हासिल हो जाए या'नी फ़स्ल पक जाए या फल निकल आएँ और नफ़अ उठाने के काबिल हो जाएँ तो उ़श्र वाजिब हो जाएगा । फ़स्ल काटने या फल तोड़ने के बा'द हि़साब लगा कर उ़श्र अदा करना होगा । (الدر المختار و رد المحتار، كتاب الزكوة، باب العشر، مطلب مهم في حكم اراضي مصر... الخ، ج ۳، ص ۳۲۱)

## उ़श्र पेशगी अदा करना

**सुवाल :** क्या उ़श्र पेशगी तौर पर अदा किया जा सकता है ?

**जवाब :** इस की चन्द सूरतें हैं :

- (1) जब खेती तय्यार हो जाए तो उस का उ़श्र पेशगी देना जाइज़ है ।
- (2) खेती बोने और ज़ाहिर होने के बा'द अदा किया तो भी जाइज़ है ।
- (3) अगर बोने के बा'द और ज़ाहिर होने से पहले अदा किया तो अज़्हर (या'नी ज़ियादा ज़ाहिर) येह है कि पेशगी अदा करना जाइज़ नहीं ।
- (4) फलों के ज़ाहिर होने से पहले दिया तो पेशगी देना जाइज़ नहीं और ज़ाहिर होने के बा'द दिया तो जाइज़ है । (फ़ावै ग़मगीरी, کتاب الزکاة، ج 1، ص 181)

**मदीना :** अगरचे ज़िक्र की गई बा'ज सूरतों में पेशगी उ़श्र अदा करना जाइज़ है लेकिन अफ़ज़ल येह है कि पैदावार हासिल होने के बा'द उ़श्र अदा किया जाए ।

(المحررات، کتاب الزکوة، ج 2، ص 392)

## फल ज़ाहिर होने और खेती तय्यार होने से मुराद

**सुवाल :** फल ज़ाहिर होने और खेती तय्यार होने से क्या मुराद है ?

**जवाब :** इस से मुराद येह है कि खेती इतनी तय्यार हो जाए और फल इतने पक जाएं कि उन के ख़राब होने या सूख जाने वगैरा का अन्देशा न रहे अगरचे तोड़ने या काटने के काबिल न हुए हों ।

(माखूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या, जि. 10, स. 241)

## पैदावार बेच दी तो उ़श्र किस पर है ?

**सुवाल :** फल ज़ाहिर होने और खेती तय्यार होने के बा'द फल बेचे तो उ़श्र बेचने वाले पर होगा या खरीदने वाले पर ?

**जवाब :** ऐसी सूरत में उ़श्र बेचने वाले पर होगा ।

(माखूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या, जि. 10, स. 241)

## उ़श्र की अदाएगी में ताख़ीर

**सुवाल :** उ़श्र अदा करने में ताख़ीर करना कैसा ?

**जवाब :** उ़श्र पैदावार की ज़कात का नाम है इस लिये जो अहकाम ज़कात की अदाएगी के हैं, वोही अहकाम उ़श्र की अदाएगी के भी हैं । इस लिये बिग़ैर मजबूरी के इस की अदाएगी में ताख़ीर करने वाला गुनहगार है और उस की शहादत (या'नी गवाही) मक्बूल नहीं ।

(الفتاوى الهنديّة، كتاب الزكوة، الباب الاول، ج ۱ ص ۱۷۰)

**सुवाल :** अगर कोई उ़श्र वाजिब होने के बा वुजूद अदा न करे तो क्या करना चाहिये ?

**जवाब :** जो खुशी से उ़श्र न दे तो बादशाहे इस्लाम ज़ब्रन (या'नी ज़बर दस्ती) उस से उ़श्र ले सकता है और इस सूरत में भी उ़श्र अदा हो जाएगा मगर सवाब का मुस्तहिक़ नहीं और खुशी से अदा करे तो सवाब का मुस्तहिक़ है ।” (الفتاوى الهنديّة، كتاب الزكوة، الباب السادس في زكوة الاربع والثمار، ج ۱ ص ۱۸۵)

**मदीना :** याद रहे कि ज़बर दस्ती उ़श्र वुसूल करना बादशाहे इस्लाम ही का काम है अम लोगों को येह इख़्तियार हासिल नहीं है । ऐसी सूरते हाल में उसे उ़श्र अदा करने की तरगीब दी जाए और रब तअ़ाला की नाराज़गी का एहसास दिलाया जाए । ऐसे लोगों को येह रिसाला पढ़ने के लिये तोहफ़तन पेश करना भी बेहद मुफ़ीद होगा, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** ।

## उ़श्र अदा करने से पहले पैदावार का इस्ति'माल

**सुवाल :** क्या उ़श्र अदा करने से पहले पैदावार इस्ति'माल कर सकते हैं या नहीं ?

**जवाब :** जब तक उ़श्र अदा न कर दे या पैदावार से उ़श्र अलग न कर ले, उस वक़्त तक पैदावार में से कुछ भी इस्ति'माल करना जाइज़ नहीं

और अगर इस्ति'माल कर लिया तो उस में जो उ़श्र की मिक्दार बनती है उतना तावान अदा करे अलबत्ता थोड़ा सा इस्ति'माल कर लिया तो मुआफ़ है ।  
( الدر المختار و رد المحتار، کتاب الزکوة، مطلب محمد فی حکم اراضی مصر الخ، ج ۳، ص ۳۳۳ )

### उ़श्र देने से पहले फ़ौत हो गया तो ?

**सुवाल :** जिस पर उ़श्र वाजिब हो और वोह फ़ौत हो जाए और पैदावार भी मौजूद है तो क्या उस में से उ़श्र दिया जाएगा ?

**जवाब :** ऐसी सूरत में अगर पैदावार मौजूद हो तो उस पैदावार में से उ़श्र दिया जाएगा ।  
( الفتاویٰ الھندیہ، کتاب الزکوة، الباب السادس فی زکاة الاربع، ج ۱، ص ۱۸۵ )

### उ़श्र में रक़म देना

**सुवाल :** क्या उ़श्र में सिर्फ़ पैदावार ही देनी होगी या उस की क़ीमत भी दी जा सकती है ?

**जवाब :** मौजूदा फ़स्ल में से जिस क़दर ग़ल्ला या फल हों उन का पूरा उ़श्र अ़लाहदा करे या उस की पूरी क़ीमत (बतौरै उ़श्र) दे, दोनों तरह से जाइज़ है ।  
( अल फ़तावल मुस्तफ़विय्या, स. 298 )

### अगर त़वील अ़सें से उ़श्र अदा न किया हो तो ?

**सुवाल :** अगर कई साल उ़श्र अदा न किया तो क्या किया जाए ?

**जवाब :** उ़श्र की अ़दमे अदाएगी पर तौबा करे और साबिक़ा सालों के उ़श्र का हि़साब लगा कर ब क़दरे इस्तिताअत अदा करता रहे ।

( माखूज़ अज़ अल फ़तावल मुस्तफ़विय्या, स. 298 )

### अगर फ़स्ल ही काशत न की तो ?

**सुवाल :** अगर जि़राअत पर कादिर होने के बा वुजूद किसी ने फ़स्ल काशत नहीं की तो क्या इस सूरत में भी उस पर उ़श्र वाजिब होगा ?

**जवाब :** अगर किसी ने जि़राअत पर कादिर होने के बा वुजूद फ़स्ल काशत नहीं की तो पैदावार न होने की बिना पर उस पर उ़श्र की अदाएगी



वाजिब नहीं क्यूं कि उ़श्र ज़मीन पर नहीं उस की पैदावार पर वाजिब होता है ।  
(रुदलुख्तार, کتاب الزکوٰۃ, باب العشر, ج ۳, ص ۳۲۳)

## फ़स्ल जा़एअ होने की सूरत में उ़श्र

**सुवाल :** अगर किसी वज्ह से फ़स्ल जा़एअ हो गई तो उ़श्र वाजिब होगा ?

**जवाब :** खेत बोया मगर पैदावार जा़एअ हो गई मसलन खेती डूब गई या जल गई या सर्दी और लू से जाती रही तो इन सब सूरतों में उ़श्र साक़ित है, जब कि कुल जाती रही और अगर कुछ बाकी है तो उस बाकी का उ़श्र लेंगे और अगर जानवर खा गए तो (उ़श्र) साक़ित नहीं और (उ़श्र) साक़ित होने के लिये येह भी शर्त है कि इस के बा'द उस साल के अन्दर उस में दूसरी ज़िराअत तय्यार न हो सके और येह भी शर्त है कि तोड़ने या काटने से पहले हलाक हो वरना साक़ित नहीं ।

(रुदलुख्तार, کتاب الزکوٰۃ, باب العشر, ج ۳, ص ۳۲۳)

## उ़श्र किस को दिया जाए

**सुवाल :** उ़श्र किसे दिया जाए ?

**जवाब :** उ़श्र चूंकि खेत की पैदावार की ज़कात का नाम है, इस लिये जिन को ज़कात दी जा सकती है उन को उ़श्र भी दिया जा सकता है ।  
(التقاوی المحدثیه, کتاب الزکوٰۃ, فصل فی العشر فی ما ینجزی الارض, ج ۱, ص ۱۳۲)

इन लोगों को ज़कात दी जा सकती है :

(1) फ़कीर (2) मिस्कीन (3) अमिल (4) रिक़्ाब (5) ग़ारिम (6) फ़ी सबीलिल्लाह (7) इब्नुस्सबील या'नी मुसाफ़िर ।

(التقاوی المحدثیه, کتاب الزکوٰۃ, الباب السابع فی المصارف, ج ۱, ص ۱۸۷)

## वज़ाहत

**फ़कीर** : वोह जो मालिके निसाब न हो । मालिके निसाब होने से मुराद येह है कि उस शख्स के पास साढ़े सात तोले सोना, या साढ़े बावन तोले चांदी, या इतनी मालिय्यत की रक़म, या इतनी मालिय्यत का माले तिजारत हो, या इतनी मालिय्यत का ज़रूरियाते ज़िन्दगी से जाइद सामान हो और उस पर **अल्लाह** तआला या बन्दों का इतना कर्ज़ न हो कि जिसे अदा कर के ज़िक्र कर्दा निसाब बाकी न रहे ।

(التنّادى الهندي، كتاب الزّكوة، الباب السابع في المصارف، ج 1، ص 184)

**मदीना** : ज़रूरियाते ज़िन्दगी से मुराद वोह चीज़ें हैं जिन की उ़मूमन इन्सान को ज़रूरत होती है और इन के बिगैर गुज़र अवकात में शदीद तंगी व दुश्वारी महसूस होती है जैसे रहने का घर, पहनने के कपड़े, सुवारी, इल्मे दीन से मुतअल्लिक किताबें और पेशे से मुतअल्लिक औज़ार वगैरा । **अल्लाह** तआला के कर्ज़ से मुराद साबिका ज़कात या कुरबानी वाजिब होने के बा वुजूद न करने की सूरत में जानवर की कीमत सदका करना है ।

**मिस्कीन** : वोह है जिस के पास कुछ न हो यहां तक कि वोह खाने और बदन छुपाने के लिये इस का मोहताज है कि लोगों से सुवाल करे ।

(المرجع السابق)

**आमिल** : वोह है जिसे बादशाहे इस्लाम ने ज़कात और उ़श्र वुसूल करने के लिये मुकर्रर किया हो ।

(المرجع السابق، ص 188)

**मदीना** : सदरुशशरीअह, बदरुत्तरीक़ह मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आ'जमी رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ **बहारे शरीअत** में फ़रमाते हैं कि “आमिल अगर्चे ग़नी हो अपने काम की उजरत ले सकता है और हाशमी हो तो

उस को माले ज़कात में से देना भी ना जाइज़ और उसे लेना भी ना जाइज़, हां अगर किसी और मद (या'नी जिम्न) में दें तो लेने में हरज नहीं।" (लेकिन फ़ी ज़माना शरई अमिल मौजूद नहीं हैं) (बहारे शरीअत, हिस्सा : 5, स. 57)

**रिक़्ाब :** से मुराद मुकातब गुलाम है। मुकातब उस गुलाम को कहते हैं जिस से उस के आक़ा ने उस की आज़ादी के लिये कुछ क़ीमत अदा करना तै की हो। फ़ी ज़माना रिक़्ाब मौजूद नहीं। (अल मरज़उस्साबिक)

**ग़ारिम :** से मुराद मक़्रूज़ है या'नी उस पर इतना क़र्ज़ हो कि उसे निकालने के बा'द ज़कात का निसाब बाक़ी न रहे अगर्चे इस का दूसरों पर क़र्ज़ बाक़ी हो मगर लेने पर कुदरत न रखता हो।

(الدراختمار مع رد المحتار، کتاب الزکوة، باب المصرف، ج 3، ص 339)

**फ़ी सबीलिल्लाह :** या'नी राहे खुदा **عَزَّوَجَلَّ** में खर्च करना, इस की चन्द सूरतें हैं।

(1) कोई शख्स मोहताज है और येह राहे खुदा में जाना चाहता है उस के पास सुवारी और ज़ादे राह नहीं हैं तो उसे माले ज़कात दे सकते हैं कि येह राहे खुदा **عَزَّوَجَلَّ** में देना है अगर्चे वोह कमाने पर कादिर हो।

(2) कोई हज़ के लिये जाना चाहता है और उस के पास ज़ादे राह नहीं उस को ज़कात दे सकते हैं लेकिन उसे हज़ के लिये लोगों से सुवाल करना जाइज़ नहीं।

(3) त़ालिबे इल्म, इल्मे दीन पढता है या पढना चाहता है उस को भी दे सकते हैं कि येह राहे खुदा **عَزَّوَجَلَّ** में खर्च करना है बल्कि त़ालिबे इल्म सुवाल कर के भी माले ज़कात ले सकता है अगर्चे वोह कमाने पर कुदरत रखता हो।

(4) इसी तरह हर नेक काम में माले ज़कात इस्ति'माल करना फ़ी

सबीलिल्लाह या'नी **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ की राह में खर्च करना है। माले ज़कात (और उ़श्र) में दूसरे को मालिक कर देना ज़रूरी है, बिगैर मालिक किये ज़कात अदा नहीं हो सकती। (الدرا الحतّاء، کتاب الزّکوّة، باب المصرف، ج 3، ص 335)

**इब्ने सबील** : या'नी वोह मुसाफ़िर (यहां मुसाफ़िर से मुराद शरई मुसाफ़िर है और शरई मुसाफ़िर वोह है जो तक़रीबन 92 किलो मीटर सफ़र करने का इरादा रखता हो) जिस के पास सफ़र की हालत में माल न रहा, येह ज़कात ले सकता है अगर्चे इस के घर में माल मौजूद हो मगर उसी क़दर ले जिस से उस की ज़रूरत पूरी हो जाए, ज़ियादा की इजाज़त नहीं।

(التّसाوی المصदी، کتاب الزّکوّة، الباب السّالغ فی المصارف، ج 1، ص 188)

**मदीना (1)** : सदरुशशरीअह, बदरुत्तरीक़ह मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ **बहारे शरीअत** में फ़रमाते हैं कि “जिन लोगों की निस्बत येह बयान किया गया कि उन्हें ज़कात दे सकते हैं उन सब का फ़कीर होना शर्त है सिवाए आमिल के कि इस के लिये फ़कीर होना शर्त नहीं और इब्नुस्सबील (मुसाफ़िर) अगर्चे ग़नी हो उस वक़्त फ़कीर के हुक्म में है बाकी किसी को जो फ़कीर न हो ज़कात नहीं दे सकते।”

(बहारे शरीअत, हिस्सा : 5, स. 63)

**मदीना (2)** : ज़कात देने वाले को इख़्तियार होता है कि चाहे तो उ़श्र को इन तमाम अप़राद में थोड़ा थोड़ा तक्सीम कर दे और अगर चाहे तो किसी एक ही को दे दे। अगर माले ज़कात इतना है कि ब क़दरे निसाब नहीं है तो एक ही शख़्स को दे देना अफ़ज़ल है और अगर ब क़दरे निसाब है तो एक ही शख़्स को दे देना मक्रूह है, लेकिन ज़कात बहर हाल अदा

हो जाएगी। हां अगर वोह शख्स ग़ारिम या'नी कर्ज़दार है तो उस को इतना दे देना कि कर्ज़ निकाल कर कुछ न बचे या निसाब से कम बचे, बिला कराहत जाइज़ है। (बहारे शरीअत, हिस्सा : 5, स. 59)

### जिन को उ़श्र नहीं दे सकते

**सुवाल :** वोह कौन से लोग हैं जिन को उ़श्र नहीं दे सकते ?

**जवाब :** उ़श्र चूँकि खेत की पैदावार की ज़कात का नाम है इस लिये जिन को ज़कात नहीं दे सकते उन को उ़श्र भी नहीं दे सकते। मसलन

(1) बनी हाशिम को ज़कात नहीं दे सकते चाहे देने वाला हाशिमी हो या ग़ैरे हाशिमी। बनी हाशिम से मुराद हज़रते अली व जा'फ़र व अक़ील और हज़रते अब्बास व हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हैं। (बहारे शरीअत, हिस्सा : 5, स. 63)

(2) अपनी अस्ल या'नी मां, बाप, दादा, दादी, नाना, नानी, वग़ैरा जिन की औलाद में येह (या'नी ज़कात देने वाला) है और अपनी औलाद मसलन, बेटा, बेटी, पोता, पोती, नवासा, नवासी वग़ैरा को ज़कात नहीं दे सकते। (रुदाअलख़्तार, کتاب الزّكاة, باب المصّرّف, ج 3, ص 322)

(3) मियां बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह अगर शोहर तलाक़ दे चुका हो और औरत इद्दत में हो तो शोहर उसे ज़कात नहीं दे सकता और अगर इद्दत गुज़र चुकी हो तो ज़कात दे सकता है। (الدراअलख़्तार, کتاب الزّكاة, باب المصّرّف, ج 3, ص 325)

### इमामे मस्जिद को उ़श्र देना

**सुवाल :** क्या इमामे मस्जिद को उ़श्र दिया जा सकता है ?

**जवाब :** इमाम साहिब अगर शरई फ़कीर न हों या सय्यिद साहिब हों तो

उन को उ़श्र नहीं दिया जा सकता और अगर वोह शरई फ़कीर हों और सय्यिद जादे न हों तो उस को उ़श्र दिया जा सकता है बल्कि अगर वोह अ़ल्लिम हों तो उन्हीं को देना अफ़ज़ल है। मगर अ़ल्लिम को देते वक़्त इस बात का लिहाज़ रखा जाए कि उस का एहतिराम पेशे नज़र हो और देने वाला अदब के साथ दे जैसे छोटे बड़ों को कोई चीज़ नज़र करते हैं और

مَعَادُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ अ़ल्लिमे दीन को देते वक़्त अगर हक़ारत दिल में आई तो येह हलाकत बल्कि बहुत बड़ी हलाकत है। (बहारे शरीअत, हिस्सा : 5, स. 63)

**फ़तावा अ़लमगीरी** में है कि “फ़कीर अ़ल्लिम पर सदक़ा करना जाहिल फ़कीर पर सदक़ा करने से अफ़ज़ल है।”

(الفتاوى الهندية، كتاب الزكوة، الباب السابع في المصارف، ج 1، ص 187)

**सुवाल :** इमामे मस्जिद को बतौर उजरत उ़श्र देना कैसा ?

**जवाब :** इमामे मस्जिद को (हीलए शरई के बिगैर) बतौर उजरत उ़श्र देना जाइज़ नहीं क्यूं कि मस्जिद मसारिफ़े ज़कात में से नहीं है और उ़श्र के अहकाम वोही हैं जो ज़कात के हैं।

(ماخوذ من الفتاوى الهندية، كتاب الزكوة، الباب السابع في المصارف، ج 1، ص 188)

**मदीना :** फुक़हाए किराम رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى **ज़कात (व उ़श्र) का शरई हीला** करने का तरीका यूं इर्शाद फ़रमाते हैं, कि **फ़कीर** को (ज़कात की रक़म का) मालिक कर दें और वोह (ता'मीरे मस्जिद वगैरा में) सर्फ़ करे, इस तरह सवाब दोनों को होगा।

(رد المحتار ج 3 ص 343)

मज़ीद तफ़सील के लिये रिसाला “क़ज़ा नमाज़ों का तरीका” अज़ अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी मौलाना मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी مَدَطَّلَهُ الْعَالِي का मुतालआ करें।

## ख़रीफ़ की फ़स्लें, सब्जियां और फल

**ख़रीफ़** : इस से मुराद मौसिमे गर्मा की फ़स्लें हैं जिन की काशत मौसिमे गर्मा के आगाज़ में मार्च ता जून जब कि कटाई मौसिमे गर्मा के इख़िताम और ख़र्जां में अगस्त ता नवम्बर होती है ।

**ख़रीफ़ की अहम फ़स्लें :**

कपास, जुवार, धान (चावल), बाजरा, मूंगफली, मकई, कमाद (या'नी गन्ना) और सूरज मुखी ख़रीफ़ की अहम फ़स्लें हैं दालों में दाल मूंग, दाल माश और लोबिया ख़रीफ़ में काशत होती हैं ।

**सब्जियां:** गर्मियों में कद्दू शरीफ़, टींडा (टिन्डा), करेला, भीन्डी तूरी, आलू, टमाटर, घिया तूरी, सब्ज मिर्च, शिम्ला मिर्च, पोदीना, खीरा, ककड़ी (तर) और अरवी शामिल हैं ।

**फल** : मौसिमे गर्मा में ख़रबूज़ा, तरबूज़, आम, फ़ालसा, जामुन, लीची, लीमूं, ख़ूबानी, आड़ू, खजूर, आलू बुख़ारा, गर्मा, अनन्नास, अंगूर और आलूचा शामिल हैं ।

## रबीअ की फ़स्लें, सब्जियां और फल

**रबीअ** : इस से मुराद मौसिमे सर्मा की फ़स्लें हैं जिन की काशत मौसिमे सर्मा के आगाज़ में अक्टूबर से दिसम्बर तक होती है और कटाई मौसिमे सर्मा के इख़िताम और मौसिमे बहार में जनवरी ता अप्रैल होती है ।

**रबीअ की अहम फ़स्लें :**

रबीअ की अहम फ़स्लों में गन्दुम, चना, जव, बरसीम, तोरिया, राई, सरसों और लूसन हैं दालों में मसूर की दाल रबीअ की अहम फ़स्ल है ।

**सब्जियां** : फूल गोभी, बन्द गोभी, शलगम, गाजर, चुकन्दर, मटर,

पियाज़, लहसन, मूली, पालक, धनिया और मुख़्तलिफ़ किस्म के साग और मेथी शामिल हैं।

**फल :** रबीअ़ के फलों में माल्टा, लोकाट, बेर, अमरूद, सेब, चीकू, अनार, नाशपाती, आमलोक (जापानी फल), संगतरा, पपीता, और नारियल शामिल हैं। उ़मूमन शहद भी रबीअ़ की फ़सल के साथ ही हासिल किया जाता है।

### दा'वते इस्लामी के साथ तआवुन कीजिये

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की ग़ैर सियासी तहरीक दा'वते इस्लामी 107 से ज़ियादा शो'बाजात में मदनी काम कर रही है। बराए करम! अपनी ज़कात उ़श्र और सदक़ात व ख़ैरात दा'वते इस्लामी को देने के साथ साथ अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्तों पर भी इन्फ़रादी कोशिश फ़रमा कर उन के ज़कात व उ़श्र और दीगर अतिर्य्यात दा'वते इस्लामी के मदनी मर्कज़ पर पहुंचा कर या किसी ज़िम्मेदार इस्लामी भाई को दे कर या मदनी मर्कज़ पर फ़ोन कर के किसी इस्लामी भाई को त़लब फ़रमा कर उन्हें इनायत फ़रमा दीजिये। **اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْاَمِيْنِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ** आप का सीना मदीना बनाए।

### फ़ैज़ाने मदीना

त्री कोनिया बगीचे के पास, मिरज़ापूर,

अहमदआबाद-1, गुजरात

Mo. 84696 05565 • www.dawateislamiindia.org



## दा 'वते इस्लामी की झल्कियां

- (1) 200 ममालिक : **الْحَنْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ** तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की गैर सियासी तहरीक “दा 'वते इस्लामी” ता दमे तहरीर बे शुमार मकामात में अपना पैगाम पहुंचा चुकी है और आगे कूच जारी है।
- (2) तब्लीग : लाखों बे अमल मुसलमान, नमाज़ी और सुन्नतों के आदी बन चुके हैं।
- (3) मदनी काफ़िले : आशिकाने रसूल के सुन्नतें सीखने और सीखाने के बे शुमार मदनी काफ़िले शहर ब शहर और करिया ब करिया सफ़र कर के इल्मे दीन और सुन्नतों की बहारें लुटा रहे हैं और नेकी की दा 'वत की धूमें मचा रहे हैं।
- (4) मदनी दारुस्सुन्नह : मुतअद्दद मकामात पर मदनी दारुस्सुन्नह काइम हैं जिन में दूरो नज़्दीक से इस्लामी भाई आ कर क़ियाम करते आशिकाने रसूल की सोहबत में सुन्नतें सीखते और फिर कुर्बों जवार में जा कर “नेकी की दा 'वत” के मदनी फूल महकाते हैं।
- (5) मसाजिद की ता 'मीर: के लिये मजलिसे खुद्दामुल मसाजिद काइम है, मुतअद्दद मसाजिद की ता 'मीरात का हर वक़्त सिल्लिसला रहता है, कई शहरों में “मदनी मर्कज़ फ़ैज़ाने मदीना” की ता 'मीरात का काम भी जारी है।
- (6) आइम्मए मसाजिद : बे शुमार मसाजिद के इमाम व मुअज़्ज़िनीन और ख़ादिमीन के मुशाहरे (तन ख़्वाहों) की अदाएगी का भी सिल्लिसला है।
- (7) गूंगे, बहरे और नाबीना : इन के अन्दर भी मदनी काम हो रहा है और इन के मदनी काफ़िले भी सफ़र करते रहते हैं।

**(8) इज्तिमाई ए'तिकाफ़ :** बे शुमार मसाजिद में माहे रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरह में इज्तिमाई ए'तिकाफ़ का एहतिमाम किया जाता है। इन में इस्लामी भाई इल्मे दीन हासिल करते, सुन्नतें सीखते हैं नीज कई मो'तकिफ़ीन चांदरात ही से आशिकाने रसूल के साथ सुन्नतों भरे मदनी काफ़िलों के मुसाफ़िर बन जाते हैं।

**(9) बड़ा इज्तिमाअ :** मुख़्तलिफ़ मक़ामात पर होने वाले हफ़तावार सुन्नतों भरे इज्तिमाआत के इलावा सूबाई सत्ह पर भी सुन्नतों भरे इज्तिमाआत होते हैं। जिन में हज़ारों, लाखों आशिकाने रसूल शिकत करते हैं और इज्तिमाअ के बा'द खुश नसीब इस्लामी भाई सुन्नतें सीखने के लिये मदनी काफ़िलों के मुसाफ़िर भी बनते हैं।

**(10) इस्लामी बहनों में मदनी इन्क़िलाब :** इस्लामी बहनों के भी शरई पर्दे के साथ मुतअद्दद मक़ामात पर हफ़तावार इज्तिमाआत होते हैं। ला ता'दाद बे अमल इस्लामी बहनें बा अमल, नमाज़ी और मदनी बुर्क़ाओं की पाबन्द बन चुकी हैं। अक्सर घरों के अन्दर इन के तक़रीबन रोज़ाना हज़ारों मदारिस बनाम मद्रसतुल मदीना (बराए बालिगात) भी लगाए जाते हैं, एक अन्दाजे के मुताबिक़ फ़क़त इस्लामी बहनों के दो हज़ार मद्रसे तक़रीबन रोज़ाना लगते हैं जिन में इस्लामी बहनें कुरआने पाक, नमाज़ और सुन्नतों की मुफ़्त ता'लीम पातीं और दुआएं याद करती हैं।

**(11) मदनी इन्आमात :** इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों और तुलबा को फ़राइज़ व वाजिबात, सुन्नन व मुस्तहब्बात और अख़्लाकिय्यात का पाबन्द बनाने और मोहलिकात (या'नी गुनाहों) से बचाने के लिये मदनी इन्आमात की सूरत में एक निज़ामे अमल दिया गया है। बे शुमार

इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें और तुलबा मदनी इन्आमात के मुताबिक अमल कर के रोजाना सोने से क़ब्ल “फ़िक्रे मदीना” या’नी अपने आ’माल का जाएजा ले कर कार्ड या पोकिट साइज़ रिसाले में दिये गए ख़ाने पुर करते हैं।

**(12) मदनी मुजाकरात :** बसा अवकात मदनी मुजाकरात के इज्तिमाआत का इन्डकाद भी होता है जिस में अकाइदो आ’माल, शरीअतो तरीक़त तारीख़ो सीरत, तिबाबत व रूहानिय्यत वगैरा मुख़लिफ़ मौजूआत पर पूछे गए सुवालात के जवाबात दिये जाते हैं। (येह जवाबात खुद अमीरे अहले सुन्नत مَدَّطَلُّهُ الْعَالِي इर्शाद फ़रमाते हैं। मजलिसे मक्तबतुल मदीना)

**(13) रूहानी इलाज और इस्तिख़ारा :** दुख्यारे मुसल्मानों का ता’वीजात के ज़रीए फ़ी सबीलिल्लाह इलाज किया जाता है नीज़ इस्तिख़ारा करने का सिल्लिसला भी है। रोज़ाना हज़ारों मुसल्मान इस से मुस्तफ़ीज़ होते हैं।

**(14) हुज्जाज की तरबियत :** हज़ के मौसिमे बहार में हाजी केम्पों में मुबल्लिगीने दा’वते इस्लामी हाजियों की तरबियत करते हैं। हज़ व ज़ियारते मदीनए मुनव्वरह में रहनुमाई के लिये मदीने के मुसाफ़ि़रों को हज़ की किताबें भी मुफ़्त पेश की जाती हैं।

**(15) ता’लीमी इदारे :** ता’लीमी इदारों मसलन दीनी मदारिस, स्कूलज़, कोलिजिज़ और यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा व तुलबा को मीठे मीठे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की सुन्नतों से रू शनास करवाने के लिये भी मदनी काम हो रहा है। बे शुमार तुलबा सुन्नतों भरे इज्तिमाआत में शिर्कत करते हैं नीज़ मदनी क़ाफ़िलों के मुसाफ़ि़र भी बनते रहते हैं। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ

तुलबा, नमाजी और सुन्नतों के आदी हो गए।

**(16,17) जामिअतुल मदीना :** कसीर जामिअत बनाम “जामिअतुल मदीना” काइम हैं इन के जरीए ला ता’दाद इस्लामी भाइयों को (हस्बे ज़रूरत कियाम व तअाम की सहूलतों के साथ) दर्से निजामी (या’नी अलिम कोर्स) और इस्लामी बहनों को अलिमा कोर्स की मुफ्त ता’लीम दी जाती है। दर्से निजामी से फ़ारिगुत्तहसील होने वालों को तख़स्सुस फ़िल फ़िक्ह (मुफ़्ती कोर्स) भी करवाया जाता है।

**(18) मद्रसतुल मदीना :** हिफ़्ज़ो नाज़िरा के ला ता’दाद मदारिस बनाम “मद्रसतुल मदीना” काइम हैं। ता दमे तहरीर हज़ारों मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियों को हिफ़्ज़ो नाज़िरा की मुफ़्त ता’लीम दी जा रही है।

**(19) मद्रसतुल मदीना ( बालिग़ान ) :** इसी तरह मुख़्तलिफ़ मसाजिद वग़ैरा में उमूमन बा’द नमाजे इशा हज़ारहा मद्रसतुल मदीना की तरकीब होती है जिन में इस्लामी भाई सहीह मख़ारिज से हुरूफ़ की दुरुस्त अदाएगी के साथ कुरआने करीम सीखते और दुआएं याद करते, नमाज़ें वग़ैरा दुरुस्त करते और सुन्नतों की मुफ़्त ता’लीम हासिल करते हैं।

**(20) शिफ़ाख़ाने :** महदूद पैमाने पर शिफ़ाख़ाने भी काइम हैं जहां बीमार तुलबा और मदनी अमले का मुफ़्त इलाज किया जाता है। ज़रूरतन दाख़िल भी करते हैं नीज़ हस्बे ज़रूरत बड़े अस्पतालों के जरीए भी इलाज की तरकीब बनाई जाती है।

**(21) तख़स्सुस फ़िल फ़िक्ह :** या’नी “मुफ़्ती कोर्स” का भी सिल्सला है जिस में मुतअद्द उलमाए किराम इफ़्ता की तरबियत पा रहे हैं।

**(22) दारुल इफ़्ता अहले सुन्नत:** मुसल्मानों के शरई मसाइल के हल

के लिये मुतअद्द “दारुल इफ्ता” काइम किये गए हैं जहां दा'वते इस्लामी के मुबल्लिगीन मुफ़ितयाने किराम, बिल मुशाफ़ा, तहरीरी और मक्तूबात के ज़रीए शरई मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। अक्सर फ़तावा कम्प्यूटर पर कम्पोज़ कर के दिये जाते हैं।

**(23,24) मक्तबतुल मदीना और अल मदीनतुल इल्मिय्या :** इन दोनों इदारों के ज़रीए सरकारे आ'ला हज़रत और दीगर उलमाए अहले सुन्नत की किताबें ज़ेवरे तब्ज़ से आरास्ता हो कर लाखों लाख की ता'दाद में अ़वाम के हाथों में पहुंच कर सुन्नतों के फूल खिला रही हैं।

**(25) मजलिसे तफ़तीशे कुतुबो रसाइल :** ग़ैर मोहतात कुतुब छापने के सबब उम्मते मुस्लिमा में फैलने वाली गुमराही और होने वाले गुनाहे जारिया के सद्दे बाब के लिये “मजलिसे तफ़तीशे कुतुबो रसाइल” काइम है जो मुसन्निफ़ीन व मुअल्लिफ़ीन की कुतुब को अ़काइद, कुफ़्रिय्यात, अख़्लाक़िय्यात, अरबी इबारात और फ़िक्ही मसाइल के हवाले से मुलाहज़ा कर के सनद जारी करती है।

**(26) मुख़्तलिफ़ कोर्सिज़ :** मुबल्लिगीन के लिये मुख़्तलिफ़ कोर्सिज़ का एहतिमाम किया गया है मसलन 41 दिन का मदनी काफ़िला कोर्स, 63 दिन का कोर्स, गूंगे बहरों के लिये 30 दिन का कोर्स, इमामत कोर्स और मुदर्रिस कोर्स वग़ैरहुम।

**(27) फ़ैज़ाने कुरआनो सुन्नत कोर्स :** स्कूल, कोलिज और यूनीवर्सिटी के तुलबा, असातिज़ा और स्टाफ़ को ज़रूरिय्याते दीन से रू शनास करवाने के लिये अपनी नौइय्यत का मुन्फ़रिद “फ़ैज़ाने कुरआनो सुन्नत कोर्स” भी शुरूअ किया गया है, इस्लामी बहनों में भी येह कोर्स जारी है।

## माخذ و مراجع

ضیاء القرآن	قرآن مجید ترجمہ کنز الایمان
دارالکتب العلمیہ بیروت	صحیح البخاری
دار ابن حزم بیروت	صحیح مسلم
کتب خانہ رشیدیہ دہلی	مرا سیل ابی داؤد مع ابی داؤد
دارالکتب العلمیہ	المعجم الاوسط
دارالمعرفہ بیروت	در مختار مع رد المحتار
دارالمعرفہ بیروت	رد المحتار
دارالکتب بیروت	کنز العمال
دارالفکر بیروت	فردوس الاخبار
	الفتاویٰ الہندیہ
	الفتاویٰ الخانیہ
	البحر الرائق
	النہر الفائق
	فتاویٰ رضویہ
	الفتاویٰ المصطفویہ
	بہار شریعت
	بدائع الصنائع
رضا فاؤنڈیشن	
مکتبہ رضویہ باب المدینہ	
دارالفکر بیروت	

मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या की तरफ़ से पेशकर्दा काबिले मुतालाआ कुतुब

### ﴿शो 'बए इस्लाही कुतुब﴾

- (01) गौसे पाक رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ के हालात
- (02) तकब्बुर
- (03) 40 फ़रामीने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
- (04) बद गुमानी (05) क़ब्र में आने वाला दोस्त
- (06) नूर का खिलोना
- (07) आ'ला हज़रत की इन्फ़रादी कोशिशें
- (08) फ़िक्रे मदीना
- (09) इम्तिहान की तय्यारी कैसे करें ?
- (10) रियाकारी
- (11) क़ौमे जिन्नात और अमीरे अहले सुन्नत
- (12) उ़शर के अहकाम
- (13) तौबा की रिवायात व हिक़ायात
- (14) फ़ैज़ाने ज़कात
- (15) अहदादीसे मुबारका के अन्वार
- (16) तरबिय्यते औलाद
- (17) काम्याब तालिबे इल्म कौन ?
- (18) टीवी और मूवी
- (19) त़लाक़ के आसान मसाइल
- (20) मुफ़ितये दा'वते इस्लामी
- (21) फ़ैज़ाने चेहल अहदादीस
- (22) शर्हे शजरए कादिरिय्या
- (23) नमाज़ में लुक्मा देने के मसाइल
- (24) ख़ौफ़े खुदा
- (25) तआरुफ़े अमीरे अहले सुन्नत
- (26) इन्फ़रादी कोशिश
- (27) आयाते कुरआनी के अन्वार
- (28) नेक बनने और बनाने के तरीके
- (29) फ़ैज़ाने एहयाउल उ़लूम
- (30) ज़ियाए सदक़ात

## शो 'बए तरबीज

- (1) सहाबए किराम رَضَوَانُ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ का इश्के रसूल
- (2) बहारे शरीअत, जिल्द अव्वल (हिस्साए अव्वल ता शशुम)
- (3) बहारे शरीअत, जिल्द दुवुम (हिस्सा 7 ता 13)
- (4) उम्महातुल मुअमिनीन رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمْ
- (5) अजाइबुल कुरआन मअ गुराइबुल कुरआन
- (6) गुलदस्ताए अकाइदो आ'माल
- (7) बहारे शरीअत (सोलहवां हिस्सा)
- (08) तहकीकात
- (09) अच्छे माहोल की बरकतें
- (10) जन्नती जेवर
- (11) इल्मुल कुरआन
- (12) सवानेहे करबला
- (13) अरबईने हनफिय्या
- (14) किताबुल अकाइद
- (15) मुन्तखब हदीसें
- (16) इस्लामी जिन्दगी
- (17) आईनए कियामत
- (18 ता 24) फतावा अहले सुन्नत (सात हिस्से)
- (25) हक व बातिल का फर्क
- (26) बिहिश्त की कुन्जियां
- (27) जहन्नम के खतरात
- (28) करामाते सहाबा
- (29) अख्लाके सालिहीन
- (30) सीरते मुस्तफ़ा
- (31) आईनए इब्रत
- (32) बहारे शरीअत, जिल्द सिवुम
- (33) जन्नत के तलबगारों के लिये मदनी गुलदस्ता
- (34) फैज़ाने नमाज़
- (35) 19 दुरूदो सलाम
- (36) फतावा अहले सुन्नत (आठवां हिस्सा)
- (37) फैज़ाने यासीन शरीफ़ मअ दुआए निस्फ़े शा'बानुल मुअज़्ज़म



## शो 'बाए तराजिमे कुतुब

- (1) अल्लाह वालों की बातें (حَلِيَّةُ الْأَوْلِيَاءِ وَطَبَقَاتُ الْأَضْفِيَاءِ) पहली जिल्द
- (2) नेकी की दा'वत के फ़ज़ाइल (الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ)
- (3) मदनी आका के रोशन फ़ैसले (الْبَاهِرُ فِي حُكْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ)
- (4) सायए अर्श किस किस को मिलेगा ? (تَمْهِيدُ الْقُرْشِ فِي الْحَصَالِ الْمُوجِبَةِ لِطَلِّي الْقُرْشِ)
- (5) नेकियों की जज़ाएं और गुनाहों की सज़ाएं (قُرَّةُ الْعُيُونِ وَمُفْرِحُ الْقَلْبِ الْمَحْزُونِ)
- (6) नसीहतों के मदनी फूल ब वसीलए अहादीसे रसूल (الْمَوَاعِظُ فِي الْأَحَادِيثِ الْقَدِيمَةِ)
- (7) जन्नत में ले जाने वाले आ'माल (الْمَتَجَرُّ الرَّابِعُ فِي ثَوَابِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ)
- (8) इमामे आ'ज़म عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْأَكْرَمِ की वसियतें (وَصَايَا إِمَامِ أَعْظَمَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ)
- (9) जहन्नम में ले जाने वाले आ'माल (जिल्द अव्वल) (الزُّوْجَرُ عَنِ اقْتِرَافِ الْكِبَايِثِ)
- (10) जहन्नम में ले जाने वाले आ'माल (जिल्द दुवुम) (الزُّوْجَرُ عَنِ اقْتِرَافِ الْكِبَايِثِ)
- (11) फ़ैज़ाने मज़ारते औलिया (كَشْفُ النُّورِ عَنِ أَصْحَابِ الْقُبُورِ)
- (12) दुन्या से बे रगबती और उम्मीदों की कमी (الزُّهُدُ وَقَصْرُ الْأَمَلِ)
- (13) राहे इल्म (تَعْلِيمُ الْمُتَعَلِّمِ طَرِيقَ التَّعَلُّمِ)
- (14) उयूनल हिकायात (मुतर्जम, हिस्सए अव्वल)
- (15) उयूनल हिकायात (मुतर्जम, हिस्सए दुवुम)
- (16) एहयाउल उलूम का खुलासा (كُتُبُ الْأَحْيَاءِ)
- (17) हिकायतें और नसीहतें (الرُّؤُوسُ الْفَائِقِ)
- (18) अच्छे बुरे अमल (رِسَالَةُ الْمَذَاكِرَةِ)
- (19) शुक्र के फ़ज़ाइल (الشُّكْرُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)
- (20) हुस्ने अख़लाक (مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ)
- (21) आंसूओं का दरिया (بَحْرُ الدُّمُوعِ)
- (22) आदाबे दीन (الْأَدَبُ فِي الدِّينِ)
- (23) शाहराहे औलिया (مِنْهَاجُ الْعَارِفِينَ)
- (24) बेटे को नसीहत (أَيُّهَا الْوَالِدُ)
- (25) الدّعوة إلى الفکر
- (26) इस्लाहे आ'माल (أَلْحَدِيثُ الْعَدِيَّةِ شَرْحُ طَرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ)
- (27) आशिकाने हदीस की हिकायात (أَلْحَدِيثُ فِي طَلْبِ الْحَدِيثِ)
- (28) एहयाउल उलूम मुतर्जम (जिल्द अव्वल) (أَحْيَاءُ عُلُومِ الدِّينِ)
- (29) कूतुल कुलूब मुतर्जम (जिल्द अव्वल)

## नेक नमाजी बनने के लिये

हर जुमे'रात बा'द नमाजे मगरिब आप के यहां होने वाले दा'वते इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमाअ में रिजाए इलाही के लिये अच्छी अच्छी नियतों के साथ सारी रात शिकत फरमाइये ﴿﴾ सुन्नतों की तरबियत के लिये मदनी काफिले में आशिकाने रसूल के साथ हर माह तीन दिन सफर और ﴿﴾ रोज़ाना जाएजा लेते हुए नेक आ'माल का रिसाला पुर कर के हर मदनी माह की पहली तारीख़ अपने यहां के जिम्मेदार को जम्अ करवाने का मा'मूल बना लीजिये।

मेरा मदनी मक्सद : “मुझे अपनी और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। ” إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى अपनी इस्लाह के लिये “नेक आ'माल” पर अमल और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह की कोशिश के लिये “मदनी काफिलों” में सफर करना है। إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى